

# भारतीय गैर न्यायिक

दस

भारत

TEN  
RUPEES



सत्यमेव जयते

INDIA

Rs. 10

## INDIA NON JUDICIAL

Notarial Stamps Rs. 10/-

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


Advocate Notary Public

VARANASI (U.P.)

35AB 970900

24806 21/1/2012

रमेश प्रसाद हरजू प्रसाद  
वसापुरा ललितपुर



रमेश प्रसाद

रमेश प्रसाद / हरजू प्रसाद  
Identified by वसापुरा ललितपुर  
1/0 Sri / 2/0  
On 31-1-2012 at 11:30 AM  
The contents of the document have been  
read over and explained to this depositor  
who has admitted them to be correct  
and true. 259 is the Notary  
reference No. Rs. 15-00 is my fee



31-1-12  
Advocate Notary Public  
LALITPUR (U.P.)

1[प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)

226 अमितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से  
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी  
द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

में, रमेश प्रसाद पुत्र/पुत्री/पत्नी हरभू प्रसाद  
आयु 41 (इक्तालीस) वर्ष, जो 91 बसपुरा अमितपुर (3090) का/की निवासी हूँ  
और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर  
निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

1- मैं ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध  
(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित  
किया गया है/किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी  
प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य

(ii) पुलिस थाना (थाने) शून्य जिला (जिले) शून्य

राज्य शून्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण  
जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है शून्य

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों की विरचना की गई) शून्य

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे शून्य

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गयी है/हैं ....  
शून्य

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की  
उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध  
(अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक  
के लिए कारावास

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह  
निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं शून्य

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है शून्य

(iii) पुलिस थाना (थाने)..... शून्य ..... जिला (जिले)..... शून्य .....

राज्य..... शून्य .....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है..... शून्य .....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गये थे..... शून्य .....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं..... शून्य .....

स्थान : अमितपुर

तारीख : 01-02-2012


शोभाप्रसाद  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

## सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है।

अमितपुर स्थान पर आज तारीख 01-02-2012

को सत्यापित किया।



टिप्पणी : इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिये जाएं।]

शोभाप्रसाद  
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर